

2021/7

फार्म नं. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)




अज अदालत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी), आबूपर्वत

प्रार्थी मंगला पुत्र चमका जील R/0-मानपुर	बनाम	अप्रार्थी श्रीमती पंचमी w/o सुरा आते-जील R/0-मानपुर व अण्ड-4
--	------	---

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या..... 3 / 2021

म मुकदमा राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा..... 212 राजस्थान/ 9-2-21

काश्तकारी अधिनियम, 1955

हुकम या कार्यवाही का विवरण मय, इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
<p>9² यह राजस्व प्रार्थना-पत्र प्रार्थी — की ओर से अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है । अतः यह राजस्व प्रार्थना-पत्र पंजीयन किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन / नोटिस जारी किये जावें ।</p> <p>पत्रावली आयन्दा तामिली हेतु दिनांक 25/2/21 को पेश हो !</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर आबूपर्वत </p> <p> एडीएच काश्तकारी पत्रावली 1, 5, 5, 5 की तामिली पत्रावली 5 की ओर से एडी विजयपुराद्वारा आबूपर्वत काश्तकारी पत्रावली 203 के नोटिस के अन्तर्गत आबूपर्वत काश्तकारी पत्रावली 203 के अन्तर्गत पेश किया गया है । </p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर आबूपर्वत </p>	<p>1105</p> 

आबूपर्वत

17/3/21

पत्रावली पेश हुई। बाकी अधि. एवं परिवर्द्ध
अधि. अनुपस्थित। दोनों प्रकारान को
रक-रक कर तीन-तीन बार आवाज
लगाई गई। इसके खानपूद भी दोनों
प्रकारान अनुपस्थित।

अतः प्राथमिक कदम पेश की कदम एजरी
में ~~अनु~~ खारिज की जाती है।

पत्रावली प्रोपल श्रुमार कट गेट
ले कम है।

४

बहायक अध्यक्ष

आर्य-वर्ष